

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर
 क्रमांक: ई-निविदा/स्टेशनरी स्टोर/क.ऑ./2016/8 दिनांक : 11/5/16

निविदा सूचना संख्या 01 वर्ष/2016-17

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज. जयपुर में आगामी एक वर्ष 2016-17 हेतु मशीन विद् मैन सप्लाय कार्य करने हेतु योग्य, अनुभवी एवं प्रतिष्ठित संस्थाओं/फर्मों से ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

ई-निविदा विवरण निम्न प्रकार है :

1.	कार्यालय का नाम	निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज. जयपुर। (स्वास्थ्य भवन)
2.	ई-निविदा का कार्य	30 मशीन विद् मैन सप्लाय हेतु
3.	ई-निविदा की अनुमानित राशि	30 लाख रुपये (तीस लाख रुपये मात्र)
4.	अमानत राशि	60,000/- रुपये
5.	ई-निविदा फार्म शुल्क	1000/- रुपये
6.	ई-निविदा प्रोसेसिंग शुल्क	1000/- रुपये
7.	ई-निविदा फार्म प्रस्तुत/अपलोड होने की प्रारम्भिक दिनांक	13.05.2016
8.	ई-निविदा फार्म प्रस्तुत/अपलोड करने की अन्तिम दिनांक व समय	27.05.2016 मध्यान्ह 3.00 बजे तक
9.	ई-निविदा फार्म जमा प्रस्तुत करने की दिनांक व समय	30.05.2016 मध्यान्ह 3.00 बजे तक
10.	टेक्नीकल बिड खोलने की दिनांक	31.05.2016 सायं 2.00 बजे
11.	निविदा वैधता अवधि	वित्तीय बिड खोलने की तिथि से 90 दिन

- ई-निविदा फार्म में ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स फॉरमेट में www.eproc.rajasthan.gov.in वेबसाइट द्वारा ही प्रस्तुत करनी होगी। ई-निविदा फार्म शुल्क रुपये 1000/- (अक्षरे एक हजार रुपये मात्र) तथा अमानत राशि रुपये 60,000/- (अक्षरे साठ हजार रुपये मात्र) डीडी/बैंकर चैक के रूप में जो निदेशक (जन स्वा.) के पक्ष में तथा ई-निविदा प्रोसेसिंग शुल्क रुपये 1000/- (अक्षरे एक हजार रुपये मात्र) जो कि M.D. RISL, Jaipur के पक्ष में देय होगा के अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। उक्त मूल दस्तावेज दिनांक 27.05.2016 को मध्यान्ह 3.00 बजे तक प्रस्तुत करने देने चाहिए।
- ई-निविदा एवं ई-निविदा की शर्तें विभाग की वेबसाइट www.rajswasthya.nic.in, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग की वेबसाइट www.dipr.rajasthan.gov.in तथा www.sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
- निर्धारित समय तक प्राप्त ई-निविदाओं की तकनीकी बिड दिनांक 31.05.2016 को सायं 2.00 बजे ई-निविदा प्रक्रिया एवं शर्तों के अधीन खोली जावेगी।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
 राज. जयपुर

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर
(स्वास्थ्य भवन)

ई-निविदा प्रपत्र

1. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संविदा आधार पर मशीन विद मैन उपलब्ध कराने हेतु ई-निविदा
2. ई-निविदादाता फर्म का नाम
3. पत्राचार का स्थाई पता एवं दूरभाष
.....
.....
4. मोबाइल नं. एवं ईमेल
3. निविदा सूचना संख्या:- क्रमांक: ई-निविदा/स्टेशनरी स्टोर/क.ऑ./2016/.....दिनांक.....
4. निमित्त-निदेशक (जन स्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।
5. ई-निविदा फार्म शुल्क राशि रु. 1000/- (अक्षरे एक हजार रुपये मात्र) डीडी/बैंकर चेक संख्या
दिनांक:..... संलग्न हैं।
6. ई-निविदा प्रोसेसिंग शुल्क राशि रु. 1000/- (अक्षरे एक हजार रुपये मात्र) डीडी/बैंकर चेक संख्या.....
दिनांक:..... M.D. RISL, Jaipur के पक्ष में देय, संलग्न हैं।
7. अमानत राशि रुपये 60000/- (अक्षरे साठ हजार रुपये मात्र) डीडी/बैंकर चेक संख्या
दिनांक:..... संलग्न हैं।
8. निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम, पता व उसकी फर्म/संस्था में स्थिति :-
.....
.....
9. फर्म को राजकीय/स्वायत्तशासी संस्थाओं में सेवाएँ प्रदान करने का अनुभव :- वर्ष

10. गत तीन वर्षों में राजकीय/स्वायत्ती संस्थान में कार्य करने का अनुभव (कार्यादेश की राजकीय/स्वायत्ती संस्थान के सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अटेस्टेड प्रति संलग्न करें) :-

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	आपूर्ति कम्प्यूटर मय ऑपरटर की संख्या	अवधि	राशि
1.			से.....तक	
2.			से.....तक	
3.			से.....तक	

11. ई-निविदा में दी गई दरों की वैधता की अवधि 3 माह तक मान्य है।
12. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई उपर्युक्त वर्णित ई-निविदा सूचना एवं ई-निविदा सूचना के क्रम में प्रसारित शर्तें जो निविदा के साथ संलग्न है, उनसे हम पूर्णतया सहमत हैं। हमारी स्वीकृति बतौर हमने शर्तों संबंधी सभी पृष्ठों पर अपने डिजिटल हस्ताक्षर कर दिये हैं।
13. मशीन विद् मैन उपलब्ध कराने हेतु हमारी वित्तीय बिड दरें ई निविदा के अन्तर्गत संलग्न हैं।
14. निविदाकार द्वारा अपनी दरें BOQ में ही अंकित की गई हैं।
14. ई-निविदा के अन्तर्गत वांछित दस्तावेजों की सत्यापित फोटो प्रतियां स्कैन कर अपलोड कर दी गई है।

हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम
फर्म की मोहर
पता दूरभाष नम्बर

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर
(स्वास्थ्य भवन)

दर अनुसूची प्रपत्र

1. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संविदा आधार पर मशीन विद मैन उपलब्ध कराने हेतु ई-निविदा
2. ई-निविदादाता फर्म का नाम
3. पत्राचार का स्थाई पता एवं दूरभाष
4. मोबाइल नं. एवं ईमेल
4. निविदा सूचना सख्या:- क्रमांक: ईनिविदा/स्टेशनरी स्टोर/क.ऑ./2016/.....दिनांक.....
5. निमित्त-निदेशक (जन स्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।
6. संलग्न सूची में विशिष्टीकरण के आधार पर दरें उनके सम्मुख अंकित की गई हैं, दरें निम्नानुसार प्रस्तुत हैं :-

क्र.सं.	कार्य का नाम	दर प्रति मशीन विद मैन प्रतिमाह	
		रूपये अकों में	रूपये शब्दों में
1.	मशीन विद मैन		

हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम
फर्म की मोहर
पता दूरभाष नम्बर

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम/घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने प्लेसमेंट कार्य/सेवा इकाई की जहां कहीं भी आपूर्ति की हैं, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षों में आपूर्ति सेवा इकाईयों के संतोषप्रद कार्य नहीं करने होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है। हम यह भी घोषणा करते हैं कि हम किसी भी न्यायालय में सेवा प्रदायगी में डिफाल्टर का कोई वाद लम्बित नहीं हैं तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी प्रकार की कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहत कर लिया जाएगा तथा ई-निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाएगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

—: मशीन विद् मैन हेतु खुली निविदा के लिए निविदा एवं संविदा की शर्तें :-

टिप्पणी :- निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी ई-निविदा भरते समय इनका पूर्णरूपेण पालना करना चाहिए।

1. इस ई-निविदा में श्रम विभाग से अनुज्ञाधारी/पंजीकृत प्लेसमेंट एजेंसी/गैर सरकारी संस्थान/पंजीकृत वाणिज्यिक संस्थान/एजेंसी भाग ले सकते हैं, व्यक्तिगत संविदा के आधार पर कम्प्यूटर मशीन विद् मैन की सेवाएं नहीं ली जा सकेंगी। ब्लैक लिस्टेड फर्म ई-निविदा में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होगी, इस हेतु निविदादाता को फर्म को स्वयं इस तथ्य का प्रमाण देना होगा।
2. स्थापित किये जाने वाले सभी उपकरण/ कम्प्यूटर विशिष्टताएँ तथा ऑपरेटर की न्यूनतम योग्यता निम्नानुसार एवं समय-समय वित्त विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप होनी आवश्यक हैं:-

Manpower - The Personnel should be graduate, should have knowledge to operate computer in Windows/Linux environment, good knowledge/practice in Word Processor, Spread Sheets and Internet Operations and toher office related computer operations and should have sufficient good speed of typing in Hindi and English.

Computer – Intel Core i3/ Equivalent AMD based computer or higher speed, RAM 2/4 GB or Higher, Hard Disk 250 GB or more. 15" Monitor/TFT or bigger, 10/100/1000 mpbs LAN Card, CD/DVD Writer, Standard Keyboard, Optical Mouse, Standard Seriel, parallel & USB Ports Windows 7 or Higher. Antivirus, Preinstalled MS Office, Responsibility of software license will be borne by the contractor.

Printer – Black & White laser printer wiht speed 15ppm or more, For Specific needs, Dot Matrix/inkjet printer may be taken in lieu of laser printer.

UPS – Online/Offline UPS for above Computer and Printer with 30 minutes battery backup.

3. निविदा प्रस्तुत किये जाने के बाद फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना अनुबन्धकर्ता विभाग अधिकारी को लिखित में देगा तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्यों को मुक्त नहीं किया जावेगा।
4. अपूर्ण एवं वांछित सूचनाओं के अभाव में निविदाओं को निरस्त/रद्द कर दिया जायेगा।
5. किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार निदेशक (जन स्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर का होगा।

6. ई-निविदा प्रपत्र दो भागों में है। प्रथम भाग तकनीकी बिड एवं द्वितीय भाग वित्तीय बिड हैं। निविदाकार द्वारा सभी ई निविदा प्रपत्रों/शर्तों/प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म की सील तथा हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा एवं निर्धारित तिथि एवं समय पर तकनीकी निविदा को खोला जाकर निम्न क्राईटेरिया के आधार पर उसका परीक्षण किया जावेगा :-
- I. पूरी धरोहर राशि (Earnest Money) की प्राप्ति ।
 - II. हस्ताक्षरित निविदा शर्तें।
 - III. प्रारूप एस.आर. 11 में घोषणा प्रमाण-पत्र (निविदाताओं द्वारा घोषणा)।
 - IV. यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अनुप्रमाणित प्रति।
 - V. यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।
 - VI. एक मात्र स्वामित्व के मामले में फर्म का पंजीयन।
 - VII. कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।
 - VIII. पेन कार्ड की प्रति।
 - IX. सर्विस टैक्स/सेलटैक्स पंजीयन तथा चूकती प्रमाण-पत्र/जमा की चालान प्रतियां (नवीनतम)।
 - X. श्रम विभाग द्वारा जारी शॉप एक्ट पंजीयन संख्या की प्रति।
 - XI. सम्बन्धित विभाग द्वारा जारी स्थाई प्रमाण-पत्र एवं पी.पी.सी. निर्धारित प्रपत्र में। (प्रोविजनल प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा)
 - XII. पी.एफ तथा ई.एस.आई. का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र।
 - XIII. विगत 3 वर्षों का 25 लाख से अधिक के टर्न ओवर की प्रति।
7. निविदाकार द्वारा अपनी दरें **BOQ** में ही अंकित की जाकर स्पष्ट दर्शानी होगी।
8. ई-निविदा की प्रक्रियानुसार निर्धारित प्रारूप में वित्तीय बिड www.eproc.rajasthan.gov.in वेबसाइट द्वारा भरी जाकर प्रस्तुत की जाये जिसमें निविदादाता का नाम व पूर्ण पता अवश्य अंकित किया जावे। कृपया ध्यान रखा जावे कि यदि वित्तीय बिड में वित्तीय दरें आदि किसी भी कारण दृष्टिगत नहीं होती हैं तो ऐसी निविदा को निरस्त कर दिया जायेगा।
9. निविदा विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों पर दी जानी है। सामान्यतया अतिरिक्त शर्तों/प्रतिशर्तों पर विचार नहीं किया जा सकेगा। फिर भी, यदि कोई अतिरिक्त/प्रतिशर्त विभागीय हित में देखी जाती है तो उस पर विचार किया जा सकता है।

10. निविदादाता द्वारा दी जाने वाली सेवाएँ निदेशक (जन स्वा.) द्वारा अधिकृत अधिकारी के अनुसार संतोषजनक होनी चाहिए।
11. संविदा की अवधि संविदा किये जाने की तिथि से एक वर्ष की होगी। अनुबंध प्रारम्भ में 6 माह की अवधि के लिये होगा एवं संतोषप्रद कार्य करने पर उसे बढ़ाया जा सकेगा। एक वर्ष पश्चात् अनुबन्धकर्ता की सेवाएँ संतोषप्रद होने पर अनुबन्ध की अवधि आपसी सहमति से 6 माह तक और बढ़ाई जा सकती हैं।
12. अनुबन्ध अवधि के दौरान सेवायं असंतोषप्रद रहने की दशा में विभाग द्वारा एक माह का नोटिस दिया जाकर अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में विभाग पर पड़ने वाले वित्तीय भार निविदा दाता द्वारा जमा प्रतिभूति राशि से वहन किया जावेगा।
13. निदेशक (जन स्वा.) को किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने के पूर्ण अधिकार होंगे तथा उक्त के कारण किसी प्रकार के उत्पन्न होने वाले दायित्वों से विभाग का कोई सरोकर नहीं होगा।
14. किसी भी कानूनी विवाद के लिए जयपुर स्थित कार्यालय/न्यायालयों में ही विवाद प्रस्तुत किया जा सकता है।
15. बोलीदाता द्वारा कार्य पर लगाये गये ऑपरेटर कार्यालय कम्प्यूटर में रखे डाटा/रिकार्ड लीक नहीं करेंगे/स्वयं के पास कॉपी कर नहीं रखेंगे। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी संवदेक की रहेगी। कार्यालय द्वारा इस प्रकार का कोई प्रकरण आने पर फर्म/कम्प्यूटर ऑपरेटर के विरुद्ध कार्यवाही कर सकेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी फर्म की होगी।
16. निविदादाता द्वारा जॉब कार्य पर उपलब्ध करायी जाने वाली मैनपावर पूर्णतयः अस्थायी होगी तथा संविदा अवधि समाप्त होते ही कार्य में लगायी गई मैनपावर की नियुक्ति भी स्वतः ही समाप्त हो जावेगी एवं किसी भी स्थिति में मैनपावर नियमित नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।
17. निविदादाता द्वारा अवयस्क एवं अशक्त तथा अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को जॉब कार्य पर नहीं लगाया जावेगा। किसी भी माह में चार दिवस से अधिक कम्प्यूटर बंद नहीं रखा जावेगा, यह भी पूर्व में सूचना देकर ही किया जा सकेगा। इससे अधिक समय तक कम्प्यूटर बंद रहने पर चाहे वह आपरेटर की गैर जारी के कारण या किसी खराबी के कारण हो तो देय राशि में से प्रतिदिन 200/- रुपये की कटौती की जावेगी।

18. निविदादाता के किसी कर्मचारी द्वारा कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने/अवांछित गतिविधियों में लिप्त पाये जाने अथवा अन्य प्रकार से प्रशासन के ध्यान में आने प्रशासन द्वारा निर्देशानुसार निविदादाता द्वारा उस मशीन विद् मैन को तुरन्त हटाना होगा। यदि कम्प्यूटर सिस्टम संबंधित विभाग की सन्तुष्टि के अनुसार कार्य नहीं करता हैं तो निविदादाता को लिखित में सूचना देकर ठीक कराने हेतु कहा जायेगा। निर्धारित अवधि में उसे ठीक नहीं कराने पर पन्द्रह दिन का नोटिस देकर संविदा निरस्त (Repudiate) किया जा सकेगा।
19. इस कार्य हेतु श्रम विभाग/राज्य सरकार के प्रावधानों के तहत कोई लाईसेन्स अथवा अनुमति पत्र लेना आवश्यक हो तो निविदादाता को स्वयं के व्यय पर प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निविदादाता को अपने कर्मचारियों के कार्य दिवस, कार्य के घंटे, दिये गये पारिश्रमिक इत्यादि की श्रम विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में सूचना व अन्य समस्त प्रकार के रिकार्ड को तैयार करने एवं तदुपरान्त सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा किसी भी अधिकारी के मांगे जाने पर तुरन्त प्रस्तुत करनी होगी।
20. निविदादाता को श्रम विधि/वित्त नियम/उपनियम व अधिसूचनाएँ तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व निविदादाता का होगा। श्रम विधि नियम, उपनियम व अधिसूचनाओं की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिए निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा।
21. निविदादाता का श्रम विभाग/ईएसआई एवं पीएफ विभाग में तथा सर्विस टैक्स हेतु पंजीकरण होना आवश्यक होगा तथा सम्बन्धित दस्तावेज निविदा के साथ संलग्न करने होंगे।
22. निविदादाता द्वारा उपलब्ध मशीन विद् मैन को नियमानुसार दिया जाने वाली राशि उनके द्वारा खोले गये बैंक खाते में हर माह की 7 तारीख तक आवश्यक रूप से निविदादाता द्वारा जमा कराया जावेगा।
23. निविदादाता द्वारा नियोजित मशीन विद् मैन की किसी भी कारण कार्य के समय होने वाली दुर्घटना की जिम्मेदारी स्वयं निविदादाता की होगी।
24. निविदादाता को निविदा कार्य का संचालन स्वयं को ही करना होगा, वह किसी अन्य व्यक्ति/ संस्था को निविदा में सबलेट नहीं करेगा।

25. निविदा अनुमोदन होने के पश्चात् निविदादाता द्वारा 1000/- रुपये (अक्षरे रुपये एक हजार मात्र) के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सात दिवस की अवधि में अनुबन्ध प्रस्तुत करना होगा जिसका समस्त व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा। साथ ही ई-निविदा राशि का 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि डीडी/बैंकर चेक के रूप में निदेशक (जन स्वा.) के पक्ष में अनुबन्ध के साथ देय होगी। उक्त राशि में से धरोहर को समायोजन करने के उपरान्त शेष राशि जमा करानी होगी।
26. निविदा की शर्तों में सामान्य वित्त एवं लेखा नियम, एवं RTPP ACT-एवं RTPP Rules 2013 के प्रावधान पूर्ण रूप से लागू होंगे।
27. The Designation and address of the First Appellate Authority is Director, Medical Health & Family Welfare, Govt. of Rajasthan.
- The Designation and address of the Second Appellate Authority is Principal Secretary, Medical Health & Family Welfare, Govt. of Rajasthan.

हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम

फर्म की मोहर

पता दूरभाष नम्बर